अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा निर्वाचन आयोग

महासभा निर्वाचन-2025

महासभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (5 पद) महामंत्री, मंत्री (5 पद) कोषाध्यक्ष, के पद प्रत्याशियों हेतु आवश्यक अर्हतायें

अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के निम्न पदों के निर्वाचन, निर्वाचन आयोग के अधीन करायें जावेगें।

महासभा अध्यक्ष (एक) पद उपाध्यक्ष (5 पद), महासभा महामंत्री (एक.) पद, मंत्री (5 पद) कोषाध्यक्ष (एक), पद कुल तेरह पद निर्वाचित किया जाना है।

1 मतदाता सूची में निर्वाचन माह से एक वर्ष पूर्व तक बने महासभा सदस्यों के ही नाम स्वीकार किये जायेंगे जो अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के संरक्षक एवं आजीवन सदस्य होगें। प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में प्रकाशित होना अनिवार्य है। प्रत्याशी के नामांकन में स्वयं का ईमेल एड्रेस होना अनिवार्य होगा। नामांकन निर्धारित दिनांक व समयावधि में प्राप्त होना अनिवार्य है। अध्यक्ष एवं शेष समस्त पदों हेतु प्रत्याशी पद हेतु महासभा का संरक्षक/आजीवन सदस्य होना अनिवार्य है।

2 प्रत्याशी के प्रस्तावक एवं समर्थक का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।

3 एक मतदाता समान पद वाले केवल एक ही प्रत्याशी का प्रस्तावक/समर्थक बन सकता है, यदि एक से अधिक का बनता है तो बाद में प्राप्त होने वाले फार्म को निरस्त किया जावेगा। एक ही व्यक्ति के लिये पृथक–पृथक पदों हेतु वहीं व्यक्ति प्रस्तावक/समर्थक बन सकेगें।

4 नामाकंन पत्र पर किसी प्रकार की ओवर राईटिंग अथवा कांट–छांट अशुद्धि लेखन होने पर नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

5 कोई भी पदाधिकारी लगातार दो सत्र तक एक ही पद पर पदाधिकारी रहा हो वह उस पद का तीसरी बार प्रत्याशी नहीं बन सकेगा।

6 निर्वाचन सम्बंधी समस्त सूचनायें गहोई बंधु पत्रिका एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के सूचना पटल पर प्रकाशित की जायेगी।

7 किसी भी प्रकार की आपत्ति लिखित में ही समय सीमा में मान्य की जायेगी, जो आपत्तिकर्ता को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण सहित प्रस्तुत करनी होगी।

8 मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति का नाम दो या दो से अधिक स्थानों पर अंकित है तो उसे एक ही मत देने का अधिकार होगा।

9 सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है तभी मतदान में भाग ले सकेंगे। यदि महासभा का पहचान पत्र न प्राप्त हो सका हो तो अन्य कोई शासन द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसमें फोटो, आपका नाम एवं पता का विवरण अंकित हो।

10 एक से अधिक प्रत्याशी होने पर मतदान नियत दिनांक को नियत मतदान केन्द्र स्थान पर गुप्त प्रणाली से मतपत्र द्वारा होगा।

11 यदि किसी प्रत्याशी पर महासभा/क्षेत्रीय सभा/पंचायत की कोई राशि बकाया है तथा उसके द्वारा की गई घोषणा के उपरांत भी राशि जमा नहीं की है तो वह राशि जमा करने पर ही प्रत्याशी बन सकेगा।

12 प्रत्याशियों द्वारा प्रचार हेतु केवल हैन्डबिल का ही प्रयोग किया जा सकेगा, अन्य सामग्री विज्ञापन, बैनर, दीवाल, लेखन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, स्टीकर्स, बिल्ले, पोस्टर आदि का प्रयोग मतदान केन्द्र के बाहर पूर्णरूपेण वर्जित है। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। व्हाटसअप आदि का उपयोग प्रत्याशी स्वयं अपने स्वयं के प्रचार के लिये कर सकेगा।

13 नामांकन शुल्क अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर नामांकन पत्र के साथ सलंग्न किया जावे अथवा अ.भा ग.वैश्य महासभा के भारतीय स्टेट बैंक एस.बी.आई. पाटनकर बाजार, ग्वालियर के

खाता क्र. 63039422432 एवं IFSC Code SBIN 0030119 में अथवा आई.डी.बी.आई बैंक नया बाजार खाता क्रमांक 54510010005830 IFSC Code IBKL 0000545 जमा कर नामांकन पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करना होगी, फोटो कापी मान्य नहीं होगी।

14 सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सामान्य निर्वाचन अधिनियमों का मतदाता, प्रत्याशी एवं अभिकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा, विपरीत परिस्थितियों में कानूनी कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

15 अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के संविधान के अनुसार ही निर्वाचन नियम लागू होगें।

16 विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार, पीठासीन अधिकारी की अनुशंसा पर, निर्वाचन आयोग को होगा।

17 समस्त विवादों पर निर्वाचन आयोग का फैसला अंतिम व सर्वमान्य होगा।

18 उम्मीदवार से लिया गया शुल्क नाम वापिसी होने अथवा निरस्त होने पर वापिसी योग्य नहीं होगा।

19 समस्त प्रत्याशियों को आयु एवं पूर्व या वर्तमान पदों का वैधानिक प्रमाणीकरण मय शपथपत्र के देना अनिवार्य होगा।

पदवार अर्हतायें :-

महासभा अध्यक्ष पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। (महासभा के आमंत्रित सदस्य महासभा कार्यकारिणी की श्रेणी में नहीं आते)

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 25,000 / – रू. (पच्चीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा महामंत्री पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 25,000 / – रू. (पच्चीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। क्षेत्रीय सभा हेतु महासभा, क्षेत्रीय सभा कार्यकारिणी अथवा स्थानीय पंचायत का पदाधिकारी रहा हो या वर्तमान में हो।

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 21,000 / – रू. (इक्कीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा के मंत्री पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये,

(ब) कम से कम एक वर्ष तक महासभा के सम्बद्ध किसी भी स्थानीय पंचायत अथवा क्षेत्रीय सभा का पदाधिकारी रह चुका हो अथवा महासभा / क्षेत्रीय सभा का कार्यकारिणी सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो।

(स) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 15, 000 / रू. (पन्द्रह हजार रूपये) नियत किया गया है।

नोट :– प्रचार मंत्री (एक पद), सम्पत्ति न्यास निरीक्षक (एक पद), लेखा निरीक्षक (एक पद) के निर्वाचन महासभा की विधान नियमावली के अनुसार महासभा के अधिवेशन में कराये जावेंगे।

आर.एन.गुप्ता
निर्वाचन आयुक्त

ई. रामनिवास छिरौल्या
निर्वाचन उपायुक्त